कार्यालय प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बगडी नगर, जिला पाली राज.

पिनकोड– 306114 दूरभाष– 02960–281028 EMAIL:- principal.dietpali@rajasthan.gov.in

क्रमांक–डाइट / बगडी / लेखा / 2020–21 / 1021 दिनांक–12–2–2021

–:: खुली बोली आमंत्रण सूचना संख्या .03. / 2020–21 ::–

इस संस्थान में निम्न उपकरण / सामग्री क्रय करने हेतु ईच्छुक पंजीकृत निर्माता फर्म से निम्नानुसार मुहरबन्द बोली आंमत्रण की जाती हैं। निविदा की विस्तृत विवरण एवं अन्य शर्ते राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं ।

क्र सं	सामग्री का विवरण एवं संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपयों में)	बोली प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय
1	डेस्कटॉप कम्प्यूटर एवं लेपटॉप –12	6.00	बोलीदाता द्वारा बोली प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।	200	18.2.21 5.00pm	19.2.21 12.00pm	19.2.21 1.00pm
2	स्मार्ट बोर्ड –4	6.00		200	18.2.21 5.00pm	19.2.21 12.00pm	19.2.21 1.00pm
3	सेमिनार माईक सेट–1	1.5		200	18.2.21 5.00pm	19.2.21 12.00pm	19.2.21 1.00pm
4	कक्षा कक्ष फर्नीचर	2.00		200	18.2.21 5.00pm	19.2.21 12.00pm	19.2.21 1.00pm

बोली प्रपत्र निर्धारित शुल्क नकद / डीडी / बैकर्स चैक (केवल SBI के) जो PRINCIPAL, DIET, BAGRI NAGAR के नाम से जारी हो, जमा करवाकर कार्यालय कार्य दिवसों में दिनांक–12–2–21 से प्राप्त किये जा सकते हैं या राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in संस्थान की वेब साइट www,education.raj.gov.in/dietpali से भी डाउनलोड किया जा सकता हैं।

नियम एवं शर्तेः–

1. पोर्टल से डाउनलोड किए गए अलग–अलग बोली प्रपत्र के निर्धारित शुल्क रू. 200/- का डीडी / बैकर्स चैक (केवल SBI के) बोलीदाता द्वारा PRINCIPAL, DIET, BAGRI NAGAR के नाम से तकनीकी बिड के लिफाफे में संलग्न करना होगा।
2. बिड दो लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी जिसमें एक में तकनीकी बिड व दूसरे में वित्तीय बिड होगी तकनीकी बोली के साथ बोली प्रतिभूति घोषणा एवं वांछित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।ज्ञातव्य रहें कि बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
3. बिड प्रपत्र का शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाएगा।
4. बोली के साथ बोली प्रतिभूति घोषणा 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा,
5. प्राप्त बोली संस्थान द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जाएगी।बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
6. सफल बोलीदाता को निर्देशों में अंकित अनुसार 500/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार पत्र सम्पादित करना होगा।
7. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोलियां स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. उपापन संस्था न्यूनतम दर बोली को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा वह किसी भी बोली अथवा उसके किसी भाग को बिना कारण बताए रद्द कर सकेगी।
9. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम एवं प्रारूप एसआर 14,15,16 व 17 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम– 2012 व नियम–2013 के प्रावधान व समय समय पर किए गए संशोधन भी उक्त बोली पर लागू होंगे।
10. उपर्युक्त अंकित उपकरणों की संख्या अनुमानित हैं जिसमें कमी अथवा बढोतरी की जा सकती हैं। उपापन संस्था उक्त अंकित किसी भी सामग्री / कार्य / सेवा की न्यूनतम मात्रा अथवा कोई सामग्री / कार्य / सेवा क्रय / उपाप्त करने के लिये बाध्य नहीं हैं। सामग्री / कार्य / सेवा का उपापन, इस कार्यालय की समय समय पर होने वाली आवश्यकता पर निर्भर करता हैं।
11. सफल बोलीदाता की अनुमानित दरें 31.3.2021 तक की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी व आवश्यक होने पर आगे बढायी जा सकेगी।

प्रधानाचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
बगडी नगर जिला पाली राज.

प्रधानाचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
बगडी नगर (पाली) राज. IFMS 1537

क्रमांक–डाइट / बगडी / लेखा / 2020–21 / 1021 दिनांक–12–2–2021

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य उपापन समिति को देखकर लेख है कि उक्तानुसार निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के समय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बगडी नगर समिति कक्ष में अनिवार्यतः उपस्थित रहें।
2. वरिष्ठ सहायक, लेखा शाखा को देकर लेख है कि उपापन पंजिका का संधारण कर प्रस्तुत करें। साथ ही बोली खोलने के दौरान उपस्थित रहें एवं बोलीदाताओं की उपस्थिति लेने, बोली खोलने में सहयोग, तुलनात्मक विवरण तैयार करने एवं निर्देशानुसार सुपुर्द किए गए अन्य कार्य सम्पादित करावें। स्टोर कीपर से बोली बॉक्स प्राप्त करें एवं प्राप्त होने वाली बोलियों के संबंध में बॉक्स को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जावें।
3. कैशियर कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि बोली प्रपत्र विक्रय पंजिका का संधारण करे, बोली प्रपत्रों हेतु फर्मो से प्राप्त प्रार्थना पत्रों अनुसार बोली दस्तावेज का निर्धारित शुल्क जमा कर बोली दस्तावेज जारी करावें एवं विक्रय किए गए बोली प्रपत्र का विवरण बोली खोलने के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
4. स्टोर कीपर को देकर लेख है कि भरे हुए बोली दस्तावेज प्राप्ति के संबंध में बॉक्स लेखा शाखा में उपलब्ध करावें।
5. समस्त नोटिस बोर्ड।

प्रधानाचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

बगडी नगर जिला पाली राज.

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

बगडी नगर (पाली) राज. IFMS 1537